

कार्यालय अधिष्ठाता :: नेताजी सुभाश चंद्र बोस
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

क्रमांक/स्था/राज/19/ 8984

जबलपुर दिनांक 18/11/2019

विज्ञप्ति

म.प्र.शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग,मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक एफ 2-57/2018/55-1 दिनांक 06/08/2018 द्वारा जारी मध्यप्रदेश सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चिकित्सा शिक्षक आदर्श सेवा नियम 2018 के अंतर्गत संचालनालय चिकित्सा शिक्षा म.प्र. के पत्र क्रमांक 3486/स्था/राज/2018 दिनांक 08/08/2018 के अनुसार, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के राजपत्र क्रमांक एफ-07-25-2019-आ.प्र.-एक-म.प्र. लोक सेवा अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन 1994) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण)नियम 1998 में संशोधन दिनांक 19/08/2019 स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर (सुपर स्पेशलिटी) के अधीन रिक्त पदों को सीधीभर्ती द्वारा राज्य स्तरीय रोस्टर का पालन करते हुये अधीक्षक, प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक एवं सामान्य कर्तव्य चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों की पूर्ति की जाना है ऐसे अभ्यर्थी जो कि शासन/एनसीआई द्वारा निहित अर्हताएं पूर्ति करते हों इस हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाते है। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 13/12/2019 सांय 05:30 बजे तक है ।

रोस्टर सीधीभर्ती

(अधीक्षक, प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, सामान्य कर्तव्य चिकित्सा अधिकारी)

क.	पदनाम	प्राध्यापक					रिमांक
		UR	OBC	ST	SC	कुल	
1	Professor Anaesthesia (CVTS)	1	-	-	-	1	-
2	Professor Anaesthesia Neuro Surgery	1	-	-	-	1	-
3	Professor Neurology	1	1	1	-	3	-
4	Professor Neuro Surgery	-	1	1	-	2	-
5	Professor Electrophysiology Cardiology	1	-	-	-	1	-
6	Professor Paediatric Cardiology	1	-	-	-	1	-
7	Professor interventional Cardiology	1	-	-	-	1	-
8	Professor Nephrology	1	1	1	-	3	-
9	Professor Urology	1	1	1	-	3	-
10	Professor Neonatology	1	1	1	-	3	-
11	Professor Cardiac Surgery	1	1	1	-	3	-
12	Professor Radiodiagnosis	1	-	-	-	1	-
	कुल योग	11	06	06	-	23	
क.	पदनाम	सह-प्राध्यापक					रिमांक
		UR	OBC	ST	SC	कुल	
1	Associate Professor Anaesthesia (CVTS)	1	-	-	-	1	-
2	Associate Professor Anaesthesia Neuro Surgery	1	-	-	-	1	-
3	Associate Professor Neurology	1	1	1	-	3	-
4	Associate Professor Neuro Surgery	-	-	1	-	1	-
5	Associate Professor Electrophysiology Cardiology	1	-	-	-	1	-

6	Associate Professor Paediatric Cardiology	1	-	-	-	1	-
7	Associate Professor Interventional Cardiology	1	-	-	-	1	-
8	Associate Professor Nephrology	1	1	1	-	3	-
9	Associate Professor Urology	1	1	1	-	3	-
10	Associate Professor Neonatology	1	1	1	-	3	-
11	Associate Professor Cardiac Surgery	1	1	1	-	3	-
	कुल योग	10	05	06	-	21	
क्र.	पदनाम	सहायक प्राध्यापक					रिमार्क
		UR	OBC	ST	SC	कुल	
1	Assistant Professor Anaesthesia	-	-	1	-	1	-
2	Assistant Professor Anaesthesia (CVTS)	-	-	1	-	1	-
3	Assistant Professor Anaesthesia Neuro Surgery	-	-	1	-	1	-
4	Assistant Professor Neurology	2	1	1	1	5	-
5	Assistant Professor Neuro Surgery	-	1	-	1	2	-
6	Assistant Professor Electrophysiology Cardiology	-	-	1	-	1	-
7	Assistant Professor Paediatric Cardiology	1	-	1	-	2	-
8	Assistant Professor Interventional Cardiology	-	-	1	-	1	-
9	Assistant Professor Nephrology	2 (1+1F)	1	1	1	5	-
10	Assistant Professor Urology	1(F)	-	1	1	3	-
11	Assistant Professor Neonatology	3 (2+1F)	1	1	1	6	-
12	Assistant Professor Cardiac Surgery	-	1	1	1	3	-
13	Assistant Professor Radiodiagnosis	-	-	1	-	1	-
	कुल योग	09	05	12	6	32	
क्र.	पदनाम	अधीक्षक					
		UR	OBC	ST	SC	कुल	
1	SUPERINTENDENT	1	-	-	-	1	
	कुल	1	-	-	-	1	
क्र.	पदनाम	सामान्य कर्तव्य चिकित्सा अधिकारी					
		UR	OBC	ST	SC	कुल	
1	G.D.M.O.	2+1F	1	1	1	6	
	कुल	3	1	1	1	6	

उपरोक्त चिन्हित पदों में OBC = अन्य पिछड़ा वर्ग, ST = अनसूचित जनजाति, SC = अनसूचित जाति, F से चिन्हित पद महिला उम्मीदवार हेतु आरक्षित है।

1. पदों की संख्या अधिक/कम की जा सकती है।
2. भर्ती की प्रक्रिया एवं सेवा शर्तों की विस्तृत जानकारी एवं आवेदन का प्रारूप चिकित्सा महाविद्यालय की वेबसाइट पर www.nscbmc.ac.in पर उपलब्ध है।
3. विज्ञापित पदों के आरक्षण एवं नियुक्ति संबंधी समीचन नियमों एवं भविष्य में नियुक्तियों के संबंध में अन्यथा लिये गए शासकीय निर्णय के अधीन नियुक्ति/पदोन्नतियां रहेंगी, एवं अभ्यर्थी नियुक्ति/निरस्त होने की दशा में नियुक्ति के संबंध में अधिकार के रूप में मांग नहीं कर सकेंगे।
4. सुपर स्पेशलिटी के उपरोक्त प्रदर्शित पद प्रथम बार होने के कारण सीधीभर्ती द्वारा पदों की पूर्ति की जावेगी।
5. साक्षात्कार की संभावित दिनांक 20/12/2019 को निर्धारित की गई एवं इस हेतु पात्र उम्मीदवारों की सूची महाविद्यालय की वेबसाइट पर की जावेगी तथा ईमेल द्वारा भी सूचित किया जायेगा।

अधिष्ठाता

डॉ. सु. च. बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जबलपुर में सीधीमर्ती द्वारा प्राध्यापक/सह-प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक पदों की पूर्ति संबंधी विवरण

1. वेतनमान - नियमित नियुक्ति हेतु :-

1. प्राध्यापक - 3.00 लाख रुपये प्रतिमाह निश्चित वेतन
2. सह-प्राध्यापक - 2.50 लाख रुपये प्रतिमाह निश्चित वेतन
3. सहायक प्राध्यापक - 1.50 लाख रुपये प्रतिमाह निश्चित वेतन
4. अधीक्षक - 15600-39100+5400 ग्रेड पे
5. सामान्य कर्तव्य चिकित्सा अधिकारी - 15600-39100+5400 ग्रेड पे

टीप - वार्षिक वेतनवृद्धि 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष देय होगी ।

- प्राध्यापक पद हेतु आयु सीमा - न्यूनतम 35 वर्ष - अधिकतम - 62 वर्ष
सह प्राध्यापक पद हेतु आयु सीमा - न्यूनतम 30 वर्ष - अधिकतम - 62 वर्ष
सहायक प्राध्यापक पद हेतु आयु सीमा - न्यूनतम 25 वर्ष - अधिकतम - 62 वर्ष
अधीक्षकपद हेतु आयु सीमा - न्यूनतम 25 वर्ष - अधिकतम - 62 वर्ष
सामान्य कर्तव्य चिकित्सा अधिकारी - न्यूनतम 25 वर्ष - अधिकतम - 62 वर्ष

टीप - आयु की गणना विज्ञापन जारी होने वाली तिथि के पश्चात आने वाली 01 जनवरी के दिनांक को आधार मानकर गणना में ली जावेगी।

2. पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा ।
3. जाति प्रमाण पत्र : आरक्षण का लाम सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा।

4. अर्हताएँ :-

क्र. 1 का क्र.	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हताएं	अन्य अर्हताएं	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	प्राध्यापक	35 वर्ष	भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की टी .ई. क्यू.(T.E.Q.) विनियमावली के अनुसार सम्बंधित विषय में डी.एम्./ एम.सी.एच् शैक्षणिक योग्यता प्रथम लेखक के रूप में, सहप्राध्यापक के कार्यकाल के दौरान, सम्बंधित राष्ट्रीय एसोसिएशन/सोसाइटी में न्यूनतम 2 अनुसंधान प्रकाशनों के साथ संबंधी आधार पर सूचीबद्ध/ नेशनल जर्नल्स में 4 अनुसंधान प्रकाशनों के प्रकाशन एवं किसी अनुमति प्राप्त / अनुमोदित/ मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज/ संस्थान में 03 वर्ष के लिए सम्बंधित विषय में सह प्राध्यापक के रूप में कार्य का अनुभव ।	स्वशास्त्री चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा निर्धारित अतिरिक्त अर्हताएं ।	
2	सह प्राध्यापक	30 वर्ष	भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की टी .ई. क्यू.(T.E.Q.) विनियमावली के अनुसार सम्बंधित विषय में डी.एम्./ एम.सी.एच् शैक्षणिक योग्यता प्रथम लेखक के रूप में, सम्बंधित राष्ट्रीय एसोसिएशन /सोसाइटी में न्यूनतम 2 अनुसंधान प्रकाशनों के साथ एवं किसी अनुमति प्राप्त / अनुमोदित/ मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज/ संस्थान में 02 वर्ष के लिए सम्बंधित विषय में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्य का अनुभव ।	स्वशास्त्री चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा निर्धारित अतिरिक्त अर्हताएं ।	
3	सहायक प्राध्यापक	25 वर्ष	भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की टी .ई. क्यू.(T.E.Q.) विनियमावली के अनुसार सम्बंधित विषय में डी.एम्./ एम.सी.एच् शैक्षणिक योग्यता एवं किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज/ संस्थान में पदशिक/ रजिस्ट्रार/ रेजिडेंट/ ट्यूटर के रूप में सम्बंधित विषय में 3 वर्ष का कार्य अनुभव ।	स्वशास्त्री चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा निर्धारित अतिरिक्त अर्हताएं ।	
4	अधीक्षक	25 वर्ष	1. एम.बी.बी.एस. डिग्रीधारी। 2. हॉस्पिटल मैनेजमेंट/एडमिनिस्ट्रेशन डिग्री/डिप्लोमा योग्यताधारी। 3. किसी भी शासकीय/निजी चिकित्सालयों में अधीक्षक के रूप में कार्य करने का अनुभव	स्वशास्त्री चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा निर्धारित अतिरिक्त अर्हताएं ।	
5	सामान्य कर्तव्य चिकित्सा अधिकारी	25 वर्ष	एम.सी.आर् द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय/संस्थान से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण।	स्वशास्त्री चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा निर्धारित अतिरिक्त अर्हताएं ।	

- टीप:- 1. निओनेटोलोजी विषय में टी.ई.क्यू.(T.E.Q.) विनियमावली के अनुसार डी.एम. निओनेटोलोजी या शिशु रोग में स्नातकोत्तर डिग्री के पश्चात् 2 वर्ष का निओनेटोलोजी में विशेष पशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी भी पात्र होंगे। प्राध्यापक पद के लिए सह प्राध्यापक के पद पर 3 वर्ष का अनुभव आवश्यक है।
2. अनुसूची के कालम 5 में उल्लेखित अर्हताओं में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा परिवर्तन किए जाने पर तदानुसार परिवर्तित अर्हताएं स्वयं ही लागू होंगी।
3. साधिकार समिति समय-समय पर संकल्प पारित कर पद विशेष के लिए अतिरिक्त अथवा अन्य दोनों अर्हताएं निर्धारित कर सकेगी।
4. अन्य योग्यताएं जोकि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा शैक्षणिक पद विशेष के लिए निर्धारित अर्हताएं।
5. प्राध्यापक (क्रमिक क-2), सह-प्राध्यापक (क्रमिक क-2), सहायक प्राध्यापक, (क्रमिक क-3), एनेस्थेसिया न्यूरोसर्जरी के पदों पर एम.डी. एनेस्थेसिया के उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। डी.एम. उम्मीदवार की उपलब्धता होने पर उसे प्राथमिकता दी जावेगी।

6. निरर्हतायें-

- विकृत चित्त वाला होने पर।
- दुश्चरित्र होने पर।
- शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।
- नियुक्ति के लिये प्रयास/अनुशांसा - किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशांसा उसके लिये अनर्हकारी माना जायेगा।
- विवाह संबंधी - जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरुष वर्ग के लिये 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिये 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसे महिला/पुरुष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरुष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसे महिला/पुरुष नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे।
- कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर।
- कदाचरण संबंधी - किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिये परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।
- ऐसा उम्मीदवार जिसके विरुद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।
- स्वास्थ्य संबंधी - चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सक जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात् शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ पाया जाए तथा वह ऐसा प्रमाण पत्र जारी करें।

7. नती की प्रक्रिया

- 7.1 रिक्त पदों की पूर्ति के लिए साधिकार समिति विज्ञापित जारी करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया अपनायेगी।
- 7.2 रिक्त पदों की पूर्ति के लिए साधिकार समिति यथावश्यक लिखित परीक्षा अथवा साक्षात्कार अथवा दोनों नियत कर सकेगी।
- 7.3 चयन समिति गैरिट के आधार पर एवं गैरिट कम अभ्यर्थियों के चयन हेतु अनुशांसा देगी और तथानुसार वरीयताक्रम में नियुक्ति की जा सकेगी।
- 7.4 महाविद्यालय में सेवारत अर्हताधारी व्यक्ति रिक्त पर के विरुद्ध आवेदन देने के लिए स्वतंत्र होगा और ऐसे आवेदन के लिए उसे नियोक्ता से अनापत्ति नहीं लेना होगी।
- 7.5 महाविद्यालय में सेवारत व्यक्ति का अनुसूची -01 में विनिर्दिष्ट किसी पद के विरुद्ध चयन किये जाने की दशा में ऐसे व्यक्ति द्वारा महाविद्यालय में की पूर्व सेवा एवं वेतनमत्तों का संज्ञान नहीं लिया जायेगा।
- 7.6 किसी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में सेवारत अथवा अन्यत्र शासकीय सेवा में कार्यरत व्यक्ति को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व चिकित्सा महाविद्यालय/शासकीय सेवा से त्यागपत्र देना होगा।



8. सेवाशर्तें

- 8.1 चिकित्सा शिक्षक के लिये निजी व्यवसाय (प्राइवेट प्रैक्टिस) पूर्णतः निषेध होगा।
- 8.2 प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक के वार्षिक वेतनवृद्धि 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष देय होगी।
- 8.3 भ्रमण पर यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता राज्य शासन के प्रथम श्रेणी अधिकारी की पात्रतानुसार देय होगा।
- 8.4 विषय विशेष में रिसर्च पेपर प्रस्तुत करने हेतु वर्ष में दो बार देश के भीतर तथा एक बार देश के बाहर वायुयान किराया, दैनिक भत्ता, एवं वर्कशॉप/सेमीनार शुल्क दिया जायेगा।
- 8.5 निःशुल्क आवास सुविधा प्रदाय की जायेगी। निःशुल्क आवास सुविधा प्रदाय करने तक राज्य शासन के प्रथम श्रेणी की भांति ग्रह भाड़ा भत्ता दिया जायेगा जो महाविद्यालय द्वारा आवास सुविधा प्रदाय (Offer) की जाने की तिथि से स्वयंमेव बंद हो जायेगा।
- 8.6 सुपर स्पेशलिटी चिकित्सक को उपरोक्त उल्लेखित एक मुश्त वेतन के अतिरिक्त कार्यधारित निम्न परिश्रमिक दिया जायेगा :-
- (अ) चिकित्सा शिक्षक द्वारा की गई शल्य चिकित्सा तथा इन्टरवीन्शन उपचार/अनुसंधान से प्राप्त राजस्व का 20 प्रतिशत।
- (ब) चिकित्सा शिक्षक द्वारा Paid OPD में देखे गए मरीज से प्राप्त राजस्व का 50 प्रतिशत।
- 8.7 चिकित्सा शिक्षक को 01 वर्ष की सेवा देने के लिए बंधपत्र प्रस्तुत करना होगा 01 वर्ष के पूर्व सेवा छोड़ने की दशा में छः माह का वेतन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में जमा करना होगा।
- 8.8 साधिकार समिति चिकित्सा शिक्षक को 4 माह के वेतन के समतुल्य राशि देकर बिना किसी कारण बताये सेवा समाप्त कर सकेगी।
- 8.9 अवकाश, आचरण, एवं अर्धवार्षिकीय आयु के संबंध में म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयीन शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 लागू होंगे। शेष जो शर्तें मध्यप्रदेश सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चिकित्सा शिक्षक आदर्श सेवा नियम 2018 में निहित हैं वे लागू होंगी। जिनका अवलोकन संचालक चिकित्सा शिक्षा म.प्र./नेताजी सुभाष चन्द्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर की वेबसाइट www.nscbmc.ac.in पर किया जा सकता है।
9. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि :- स्वशासी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में आवेदन पर पत्र दिनांक 13/12/2019 सायंकाल 5:30 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिए। आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से स्वशासी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में जमा कराये जा सकते हैं। आवेदन पत्र के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से स्वशासी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में संवर्ग हेतु आवेदन एवं विषय तथा आवेदित पद का नाम एवं श्रेणी का उल्लेख अनिवार्य रूप से करें। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
10. आवेदक शुल्क:- अनारक्षित श्रेणी से 2000/- तथा आरक्षित श्रेणी अ.जा.अ.ज.जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार से 1500/- की बैंक ड्राफ्ट अधिष्ठाता नेताजी सुभाष चन्द्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर के नाम से देय होगा। आवेदन के साथ संलग्न करें। आवेदन शुल्क बिना प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
11. चयन प्रक्रिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
12. नियुक्ति संबंधी समीचिन नियमों एवं भविष्य में नियुक्तियों के संबंध में अन्यथा लिये गए शासकीय निर्णय के अधीन नियुक्तियां/पदोन्नतियां रहेंगी, एवं अम्दर्थी नियुक्ति निरस्त होने की दशा में नियुक्ति के संबंध में अधिकार के रूप में मांग नहीं कर सकेंगे।
13. उपरोक्त विज्ञापन की जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप स्वशासी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर म.प्र. की वेबसाइट www.nscbmc.ac.in पर उपलब्ध है।
- महत्वपूर्ण टीप :-** यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हतायें और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले और अर्हता की समस्त शर्तें पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी। आवेदक के विरुद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो, इस आशय से संबंधित घोषणा पत्र जो की आवेदन के प्रारूप में दिया गया है। यह शर्त भी उसमें समाहित रहेगी। विंदु क्र. 06 के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
स्वशासी ने.सु.च.बोस चिकित्सा महाविद्यालय
जबलपुर

आवेदन का प्रारूप

नोट: सभी जानकारी आवेदक द्वारा पूर्ण की जावे।

स्व प्रमाणित
फोटो

पद का नाम :

विषय :

ड्राफ्ट :- रुपये..... बैंक का नाम

1. आवेदक का नाम
2. पुरुष/महिला
3. पिता/पति का नाम (उपनाम सहित).....
4. वर्तमान निवास स्थान का पता (पिनकोड सहित).....
.....
- शहर का नाम..... फोन नं.....
मोबाइल नं.....ईमेलआईडी.....
5. स्थाई पता.....
.....
- शहर का नाम..... फोन नं.....
मोबाइल नं.....
6. आधार कार्ड नम्बर (हो तो)
7. जन्मतिथि (हाईस्कूल परीक्षा की अंकसूची संलग्न करें).....
8. शासकीय/अशासकीय सेवा में होने का अनापत्ति प्रमाण पत्र
9. दिनांक 01/01/2019 को आवेदक की आयुदिन माह वर्ष
10. आवेदक की वैवाहिक स्थिति- विवाहित/अविवाहित
11. विवाह का दिनांक-
12. वर्ग: अनारक्षित / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / विकलांग (आरक्षित श्रेणी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करें)
13. मेडिकल काउन्सिल का पंजीयन क्रमांक एवं नाम तथा दिनांक

अ. (एम.बी.बी.एस.)-----

ब. एमडी/एमएस-----

स. एमसीएच/डीएम-----

14. शैक्षणिक योग्यताएं:—(प्रमाण-पत्र एवं अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

क्र.	परीक्षा का नाम	संस्था/बोर्ड/ वि.वि.	वर्ष	विषय	प्राप्तांक / पूर्णांक	एम.बी.बी.एस. के कुल प्राप्तांक/प्रतिशत	प्रयास (Attempt)
1	2	3	4	5	6	7	
1	MBBS First Prof.						
2	MBBS Second Prof.						
3	MBBS Final Part I						
4	MBBS Final Part II						
5	MD/MS/MCH/DM						
6	S.R.						

(प्रत्येक वर्ष का पृथक-पृथक भरे)

नोट:— प्रत्येक परीक्षा के प्रयास (Attempt) प्रमाण पत्र अधिष्ठाता द्वारा पदत हो संलग्न करें।

15. शैक्षणिक अनुभव :- छायाप्रति संलग्न करें।

क्रमांक	पदनाम	रिमार्क
1	प्राध्यापक	शैक्षणिक अनुभव
2	सह प्राध्यापक	शैक्षणिक अनुभव
3	सहायक प्राध्यापक	शैक्षणिक अनुभव
4	ट्यूटर/प्रदर्शक	शैक्षणिक अनुभव
5	अधीक्षक	शैक्षणिक एवं प्रशासनिक अनुभव
6	सामान्य कर्तव्य चिकित्सा अधिकारी	शैक्षणिक अनुभव

16. पात्रता के बाद अनुभव :- छायाप्रति संलग्न करें।

17. रिसर्च पब्लिकेशन :- छायाप्रति संलग्न करें।

क्रमांक	पदनाम	रिसर्च पब्लिकेशन
1	प्राध्यापक	
2	सह प्राध्यापक	
3	सहायक प्राध्यापक	
4	ट्यूटर/प्रदर्शक	

18. कुल संलग्न प्रमाण पत्रों की संख्या :-----

स्थान.....

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

दिनों क.....

// घोषणा-पत्र //

- मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य है। जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र/नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
- मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मुझे नैतिक पतन के किसी अपराध में किसी न्यायालय द्वारा न तो दोषी पाया गया है और न ही मेरे विरुद्ध इस प्रकार का कोई प्रकरण किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है।

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

4

CHECK LIST -01

**For post of /Professor/Associate Professor/Assistant Professor /Superintendent &
GDMO in Super Specialty Hospital Jabalpur**

Scrutiny of Document

Date:

Name of Candidate:

Category:

Age/Sex: Marital Status (If Married age at marriage): No. of Children:

Subject:

Medical College: NSCB Medical College, Jabalpur

Place of work and designation (present):

ORIGINAL DOCUMENT:

1. Date of Birth (High School Mark Sheet): Attached / Not Attached
2. MBBS/BDS Mark sheets: Attached / Not Attached
3. MBBS/BDS Degree: Attached / Not Attached
Year: College: **MCI Recognized:**
4. Registration of MBBS/BDS: Attached / Not Attached
5. Internship Completion Certificate: Attached / Not Attached
6. PG Degree(In same subject): Attempt: (Attempt certificate – Attached/Not Attached)
Subject: Year: College:
7. MBBS/BDS (MP STATE MEDICAL COUNCIL) Registration No. :
8. Post Graduation (MP STATE MEDICAL COUNCIL) Registration No.:
9. Certificate issued by Dean after PG: Attached / Not Attached
10. Certificate of teaching experience as Professor/Associate Professor/Assistant Professor:

S. NO.	POST	MEDICAL COLLEGE	DURATION
1.	Professor		
2.	Associate Professor		
3.	Assistant professor		
4.	Demonstrator		

✓

11. Publications in National/International, Index journals as per MCI As 1st /2nd /Corresponding Author. (Publication Enclosed)

S.NO.	DESIGNATION AT TIME OF PUBLICATION	DATE OF PUBLICATION
1	Professor	
2	Associate Professor	
3	Assistant Professor	

12. Certificate of Award if have:
13. Certificate of Fellowship: Subject Duration:
14. Junior Resident (JR) Ship: Subject Duration:
15. For Bonded Candidate, NOC if bond completed/paid bond amount or Joining Letter if working for MP Government.
16. Caste Certificate by Competent Authority:
17. MP Domicile (Yes/No) Certificate:
18. Employers NOC if in Service (Government/Semi Government/Private):
19. Identity Card(Adhar Card/PAN Card/Driving licence/Voter ID):

Note:

1. For Bonded Candidate, if document deposited in college, bring Certificate issued by dean for documents deposited in the institute and self-attested copy of documents deposited in Institute.
2. NOC is not required for candidate applied in same Institute in which he/she work.

(Name & Signature)
Scrutiny Officer

(Name & Signature of
Candidate)
Date/08/2018



CHECK LIST - 02

For post of /Professor/Associate Professor/Assistant Professor in NSCB

Medical College Jabalpur

FACULTY PROFORMA FOR SCRUTINY & APPROVAL OF PUBLICATION FOR PROMOTION

S. NO.	PUBLICATION TITLE & NAME OF JOURNAL WITH (DATE OF ACCEPTANCE & DATE OF PUBLICATION)	NATURE OF PUBLICATION ie. ONLY ORIGINAL RESEARCH ARTICLES/ PAPERS	AUTHOR NUMBER FIRST CORRESPONDING*	PRINT/ ONLINE/ BOTH**	INDEXING IN WHICH SITE AS PER MCI NORMS***	JOURNAL TYPE NATIONAL/ INTERNATIONAL	APPROVED AS PER NORMS BY SCUTINY COMMITTEE YES / NO****

NOTE :-

* AFTER 08/06/2017 ONLY PUBLICATION AS FIRST AUTHOR OR CORRESPONDING AUTHOR ARE VAILD.

** E- JOURNALS - NOT INCLUDED

*** 1. SOCPUS, 2. PUB MED, 3. MEDLINE, 3. EMBASE/EXCERPTA MEDICA, 5. INDEX MEDICUS, 6. INDEX COPERNICUS

**** IF NO KINDLY GIVE REASON FOR DENIAL OF PUBLICATION

NAME & SIGNATURE OF CANDIDATE
DATE:-

